न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

<u>पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0</u>

राजस्व अपील सं. : 49/2018

<u>अपीलान्ट्स</u>

चुन्नीलाल पुत्र अन्नाराम, जाति कुम्हार, निवासी गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

<u>रेस्पोडेन्ट्स</u>

1. सगताराम पुत्र श्री अन्नाराम
2. द्वारकाराम पुत्र श्री अन्नाराम
3. रेवता राम पुत्र श्री बागाराम
4. चेनाराम पुत्र श्री बागाराम
5. सवाईराम पुत्र श्री बागाराम
6. श्रीमती लहरो पत्नी श्री बागाराम,
   जातियान कुम्हार, निवासीगण गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
7. तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर।
8. प्रबन्धक, यूको बैक शाखा, बालेसर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश क्रमांक 2012/2865 बंटवाडा दिनांक 05.07.2012 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया।

————

<u>उपस्थिति :—</u>

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक अनोपसिंह सोलंकी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 की ओर से अभिभाषक रविन्द्रसिंह चम्पावत उपस्थित।

—: <u>आदेश</u> :— दिनांक :— 25.07.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश क्रमांक 2012/2865 बंटवाडा दिनांक 05.07.2012 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अन्नाराम का सजरा खानदान अनुसार चुन्नीलाल, सकताराम, द्वारकाराम, गजाराम व बागाराम। बागाराम के फौत होने पर रेवताराम, चैनाराम, सवाईराम, लेहरो है। खेत खसरा नं0 1085 रकबा 47.19 बीघा, खसरा नं0 1093 रकबा 40.09 बीघा व खसरा नं0 1339 रकबा 55.10 बीघा कुल रकबा 143.18 बीघा जो गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ में स्थित है। जिसमें मूल खातेदार अन्नाराम था [illegible] पर उसके पांचो पुत्रों में प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested

का हिस्सा 1/5–1/5 है। सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक के 28.9 बीघा भूमि बन्ट में आती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने मिलकर सहमति से बन्टवाडा कर उक्त भूमि में से खसरा सं0 1085 रकबा 25.10 बीघा व खसरा नं0 1339 रकबा 36.03 बीघा कुल 61.13 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को देना तय कर तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर विभाजन का आदेश पारित करवा दिया जबकि 28.9 बीघा भूमि से ज्यादा भूमि बन्ट में ही नही आती है। अपीलान्ट के बन्ट में तो केवल खसरा नं0 1093 रकबा 20.04 बीघा ही रखी गयी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी। हिस्सा तो अपीलान्ट का भी है जिसकी सहमति ही नहीं ली गयी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री सिद्धार्थ परिहार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा 3 से 6 की ओर से श्री रविन्द्रसिंह चम्पावत ने वकालतनामा व लिखित बहस प्रस्तुत की। तहसीलदार शेरगढ़ के पत्राक क्रमांक 34 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा मूल रेकर्ड प्राप्त किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 25.06.2019 को सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री अनोपसिंह सोलंकी ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपीला मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि बंटवाड़ा आदेश क्रमांक 2012/2865 दिनांक 05.07.2012 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया जिसको अपील में चुनौती दी है। बंटवाड़ा आदेश बिना राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये ही पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य होना बताया।

अन्नाराम का सजरा खानदान अनुसार चुन्नीलाल, सकताराम, द्वारकाराम, गजाराम व बागाराम। बागाराम के फौत होने पर रेवताराम, चैनाराम, सवाईराम, लेहरो है। खेत खसरा नं0 1085 रकबा 47.19 बीघा, खसरा नं0 1093 रकबा 40.09 बीघा व खसरा नं0 1339 रकबा 55.10 बीघा कुल रकबा 143.18 बीघा जो गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ में स्थित है। जिसमें मूल खातेदार अन्नाराम था जिसके आधार पर उसके पांचो पुत्रों में प्रत्येक का हिस्सा 1/5–1/5 है। सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक के 28.9 बीघा भूमि बन्ट में आती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने मिलकर सहमति से बन्टवाडा कर उक्त भूमि में से खसरा सं0 1085 रकबा 25.10 बीघा व खसरा नं0 1339 रकबा 36.03 बीघा कुल 61.13 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को देना तय कर तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर विभाजन का आदेश पारित करवा दिया जबकि 28.9 बीघा भूमि से ज्यादा भूमि बन्ट में ही नही आती है। अपीलान्ट के बन्ट में तो केवल खसरा नं0 1093 रकबा 20.04 बीघा ही रखी गयी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को उसके 1/5 हिस्से से वंचित कर दिया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि सहमति बंटवाड़ा करने से पूर्व सभी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है परन्तु इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार से बंटवाड़े बाबत् अपीलान्ट ने अपनी सहमति नहीं दी। अपीलान्ट को धोखे में रखकर अंगूठे का निशान करवा दिया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत गलत पेश की है। वास्तव में बंटवाड़े के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत की जानी है। उन्होनें यह भी कथन किया कि उक्त बंटवाड़ा आपसी सहमति से किया है। आपसी सहमति पर अपीलान्ट चुन्नीलाल का अगूंठे का निशान भी है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य बताया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्रसिंह चम्पावत ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादग्रस्त बंटवाड़ा वाली भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि में सभी पक्षकारों का 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। उक्त पुश्तैनी भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का 1/5–1/5 होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट को 1/5 हिस्से से वंचित कर दिया। उक्त बंटवाड़े में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 3 से 6 तक की सहमति प्रदान नहीं की गई। न ही उक्त बंटवाड़ा हमें स्वीकार है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विवादग्रस्त बंटवाड़े को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने अपने प्रत्युत्तर में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधनों के तहत पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी ने वर्तमान अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत पेश की जो पोषणीय नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अन्नाराम का सजरा खानदान अनुसार चुन्नीलाल, सकताराम, द्वारकाराम, गजाराम व बागाराम। बागाराम के फौत होने पर रेवताराम, चैनाराम, सवाईराम, लेहरो है। खेत खसरा नं0 1085 रकबा 47.19 बीघा, खसरा नं0 1093 रकबा 40.09 बीघा व खसरा नं0 1339 रकबा 55.10 बीघा कुल रकबा 143.18 बीघा जो गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ में स्थित है। जिसमें मूल खातेदार अन्नाराम था। जिसके आधार पर उसके पांचो पुत्रों में प्रत्येक का हिस्सा 1/5–1/5 था। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने मिलकर सहमति से बन्टवाडा कर उक्त भूमि में से खसरा सं0 1085 रकबा 25.10 बीघा व खसरा नं0 1339 रकबा 36.03 बीघा कुल 61.13 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को देना कर दिया। तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर विभाजन का आदेश जारी करवा लिया। यह जारी विभाजन के प्रस्ताव से भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित होता है। उक्त भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार, शेरगढ़ ने अपने पंत्राक भू0अ0/बंटवाड़ा/2012/2865 दिनांक 05.07.2012 को कर दिया। उक्त बंटवाड़े में अपीलान्ट चुन्नीलाल के अंगूठे का भी निशान है जिसकी पहचान पटवारी हल्का देचू ने की तथा जिसे तहसीलदार (भू0 अ0) शेरगढ़ द्वारा प्रमाणित किया गया है। अतः तहसीलदार ने पक्षकारों की सहमति से विभाजन स्वीकार किया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से एतद् खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested